न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/69/2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दयाराम पुत्र सेढूराम, ग्राम–तलवाड, पो. जागुवास, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम व उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 07.08.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

दिनांकः 21.08.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.07.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में कार्यरत रहे कार्मिक श्री जसवन्त यादव, कनिष्ठ लिपिक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भरे गये फार्म नं.16 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
5. आवेदक को आवेदन दिनांकः 02.07.2019 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण इस न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.08.19 के माध्यम से प्रथम अपील प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2019/1255 दिनांकः 19.08.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.07.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः लोक सूचना/2019/1014 दिनांकः 17.07.19 के माध्यम से संबंधित कार्मिक श्री जसवन्त यादव, कनिष्ठ सहायक, नि. जागुवास रोड, बहरोड से प्रकरण में सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराने के संबंध में लिखा गया। जिस पर संबंधित कार्मिक द्वारा दिनांकः 19.07.19 को वांछित सूचना निजी जानकारी होने के कारण प्रार्थी को नहीं दिये जाने बाबत रिपोर्ट अंकित–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

(2)

की गई। जिसके आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः लोक सूचना/2019/1119 दिनांकः 09.08.19 के माध्यम से आवेदक को आवेदन दिनांकः 02.07.19 में वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं होने बाबत विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।

9. अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांकः 02.07.19 में वांछित सूचना फॉर्म नं.16 (आयकर प्रमाण–पत्र) गोपनीय दस्तावेज है। जिसका विवरण अन्य पक्षकार को जारी किया जाना विस्तृत लोकहित में नहीं है। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण संख्या CIC/AT/A/2008/00299 Dated: 15-07-2008 ब.उ. के.एस.बेदी बनाम आयकर विभाग व अपील प्रकरण संख्या CIC/AT/A/2008/00296 Dated: 16-07-2008 ब.उ. रमेश सीताराम माली बनाम आयकर विभाग में निर्णय पारित कर माना है कि "आयकर संबंधी जानकारियाँ सामान्यतः गोपनीय रखे जाने योग्य हैं और अधिकार स्वरूप ऐसी जानकारी न तो प्राप्त की जा सकती हैं और न ही विधिक दायित्व के अधीन ऐसी जानकारियाँ लोक प्राधिकारी द्वारा प्रकट की जायेंगी। आयकर विवरण एवं उससे संबंधित समस्त विस्तृत जानकारियाँ दी जाना अधिनियम की धारा 8(1)(d)(e)(j) के अधीन वर्जित किया गया है।"

10. उक्त आलोक में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 02.07.19 पर प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय दिनांकः 09.08.19 उचित है।

11. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)
ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)